

संचालनालय आयुष, म.प्र.

(भूतल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

Email:dirsthapna2ayush.mp@mp.gov.in		Office (0755)2552830
www.avush.mp.gov.in		Fax (0755)2760225,2551527

क्रमांक / 2024 / 02 / स्था. /

भोपाल, दिनांक: / 02 / 2024

आदेश

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत जारी प्रावीण्य सूची से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका WP. no. 11440/2023 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के परिपेक्ष्य में पात्र निम्न अभ्यर्थियों को आयुर्वेद कम्पाउंडर, पद कोड-13 (तृतीय श्रेणी) के पद पर (सातवे वेतनमान-25300-80500 लेवल-6) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 06 में अंकित स्थान पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम / पिता/पति का नाम/निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक	पदस्थापना स्थान का नाम
01	02	03	04	05	06
1	23547824	ओमप्रकाश सिंगरौरे, पिता:- श्री उमाशंकर सिंगरौरे, वर्तमान पता:- ग्राम मलारा, पोस्ट एवं तहसील- नारायणगंज, जिला मण्डला	UR/NIL/OPEN	49.45	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, बेसरा, सागर

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने पर 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप से फर्जी अथवा असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।



06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उद्भूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के लिये नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर, (पूर्व नाम-विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र), नेपियर टाउन, जबलपुर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
10. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
12. नियुक्त कर्मचारी का वरिष्ठताक्रम नियमानुसार रहेगा।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(सोनाली पौक्षे वायंगणकर)
वि.क.अ. सह आयुक्त
संचालनालय, आयुष

पृ.क./2024/02/स्था./639

भोपाल, दिनांक: 29/02/2024

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आयुष म.प्र. शासन।
02. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय भोपाल।
03. कलेक्टर जिला.....।
04. संभागीय आयुष अधिकारी.....।
05. जिला कोषालय अधिकारी.....।
06. जिला आयुष अधिकारी.....।
07. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त आयुष संचालनालय।
08. संबंधित श्री।
09. आई.टी. शाखा स्थानीय संचालनालय म.प्र.।
10. आदेश नस्ती।


वि.क.अ. सह आयुक्त
संचालनालय, आयुष

संचालनालय आयुष, म.प्र.
(भूतल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

Email: dirsthapna2ayush.mp@mp.gov.in		Office (0755)2552830
www.ayush.mp.gov.in		Fax (0755)2760225,2551527

क्रमांक / 2024 / 02 / स्था. /

भोपाल, दिनांक: / 02 / 2024

आदेश

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न अभ्यर्थियों को होम्योपैथी कम्पाउंडर, पद कोड-14 (तृतीय श्रेणी) के पद पर (सातवे वेतनमान-25300-80500 लेवल-6) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 07 में अंकित स्थान पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	वर्ग/संवर्ग प्रतीक्षा सूची क्रमांक	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम / पिता/पति का नाम/निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक	पदस्थापना स्थान का नाम
01	02	03	04	05	06	07
1	1	23567225	लेवन सिंह मार्को, पिता:-श्री ज्ञाम सिंह मार्को, वर्तमान पता:- मकान नं. 101/6, भीमनगर, झुग्गी वल्लभ नगर, वल्लभ भवन, सतपुरा भवन, भोपाल हुजूर, म.प्र.।	ST/NIL/OPEN	41.00	शासकीय होम्योपैथी औषधालय, कुण्डम, जबलपुर

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने पर 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप से फर्जी अथवा असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।



07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के लिये नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर, (पूर्व नाम-विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र), नेपियर टाउन, जबलपुर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
10. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
12. नियुक्त कर्मचारी का वरिष्ठताक्रम नियमानुसार रहेगा।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।



18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान मे त्रुटि के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(सोनाली पोंक्षे वायंगणकर)

वि.क.अ. सह आयुक्त

संचालनालय, आयुष

भोपाल, दिनांक: 29/02/2024

पृ.क्र./2024/02/स्था./659-68

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आयुष म.प्र. शासन।
02. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय भोपाल।
03. कलेक्टर जिला.....।
04. संभागीय आयुष अधिकारी.....।
05. जिला कोषालय अधिकारी.....।
06. जिला आयुष अधिकारी.....।
07. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त आयुष संचालनालय।
08. संबंधित श्री।
09. आई.टी. शाखा स्थानीय संचालनालय म.प्र.।
10. आदेश नस्ती।


वि.क.अ. सह आयुक्त
संचालनालय, आयुष

संचालनालय आयुष, म.प्र.
(भूतल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

Email: dirsthapna2ayush.mp@mp.gov.in		Office (0755)2552830
www.ayush.mp.gov.in		Fax (0755)2760225,2551527

क्रमांक / 2024 / 02 / स्था. /

भोपाल, दिनांक: / 02 / 2024

आदेश

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न अभ्यर्थियों को आयुर्वेद कम्पाउंडर, पद कोड-13 (तृतीय श्रेणी) के पद पर (सातवें वेतनमान-25300-80500 लेवल-6) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 07 में अंकित स्थान पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	वर्ग/संवर्ग प्रतीक्षा सूची क्रमांक	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम /पिता/पति का नाम/निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक	पदस्थापना स्थान का नाम
01	02	03	04	05	06	07
1	04	23563597	चेतन शर्मा, पिता:- श्री राकेश शर्मा, वर्तमान पता:- 60-61 बी सुविधा बिहार कॉलोनी एयरपोर्ट गौंधी नगर भोपाल।	UR/NIL/OPEN	53.26	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, पीपल्या रसोड़ा, राजगढ़
2	09	23563872	विश्वमोहन द्विवेदी, पिता:- श्री आत्माराम द्विवेदी, वर्तमान पता:- ग्राम भदौरा पोस्ट महखोर, जिला सीधी।	UR/NIL/OPEN	52.17	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, गिजवार, सीधी
3	12	23563815	दीपेन्द्र कुमार चौबे, पिता:- हरीश चन्द्र चौबे, वर्तमान पता:- वार्ड नं.39 शिव कॉलौनी छतरपुर, जिला छतरपुर म.प्र.।	UR/NIL/OPEN	52.17	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, गढ़ा बागेश्वर, छतरपुर
4	20	23575347	सुनील पाठक, पिता:- श्री प्रकाश चन्द्र पाठक, वर्तमान पता:- 149, वार्ड नं.05, राजेन्द्र कॉलोनी राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार म.प्र.।	UR/NIL/OPEN	51.08	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, ठिकवा, रतलाम
5	26	23575481	सुरेन्द्र सिंह खींची, पिता:- श्री जगदीश सिंह खींची, वर्तमान पता:- ग्राम गाथला, जिला राजगढ़, तहसील- नरसिंहगढ़।	UR/NIL/OPEN	51.08	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, रोसला जांगीर, राजगढ़

8

क्र.	वर्ग/संवर्ग प्रतीक्षा सूची क्रमांक	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम /पिता/पति का नाम/निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक	पदस्थापना स्थान का नाम
01	02	03	04	05	06	07
6	28	23562358	विजय शंकर तिवारी, पिता:- श्री रामहित तिवारी, वर्तमान पता:- ग्राम व पोस्ट नैकिन, चौधरी टोला, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी म.प्र.।	UR/NIL/OPEN	51.08	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, हिनौती, सतना
7	2	23562204	रामचरण विश्वकर्मा, पिता:- श्री सिखू विश्वकर्मा, वर्तमान पता:- मकान नं. 102, वार्ड नं. 07, सगरोन, तहसील- वटियागढ़, दमोह म.प्र.।	OBC/NIL/OPEN	50.00	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, फतेहपुर, दमोह
8	3	23575365	जितेन्द्र कुमार लोधी, पिता:- श्री करन सिंह लोधी, वर्तमान पता:- ग्राम दिघावन, तहसील-देवरी, जिला रायसेन म.प्र.।	OBC/NIL/OPEN	50.00	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, सनखेड़ा, रायसेन
9	4	23563469	किशोरी शरण सविता, पिता:- श्री हरी किशोर सविता, वर्तमान पता:- ग्राम सालोन बी, तहसील-भांडेर, जिला दतिया म.प्र.।	OBC/NIL/OPEN	50.00	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, गोंदन, दतिया
10	5	23575174	नीलेश, पिता:-श्री नंदकिशोर, वर्तमान पता:- ग्राम पगरावदकलौ, जिला शाजापुर म.प्र.।	OBC/NIL/OPEN	50.00	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, अरनियांकला, शाजापुर
11	6	23575128	पवन कुमार, पिता:- श्री रामबाबू विश्वकर्मा, वर्तमान पता:- ग्राम ब्राम्हणगोंव, पोस्ट पीपल्याकुल्मी, तहसील- जीरापुर, जिला राजगढ़	OBC/NIL/OPEN	50.00	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, गागोरनी, राजगढ़
12	1	23563038	राजू बुनकर, पिता:- श्री स्व. हरीबाबा बुनकर, वर्तमान पता:- पेन्च व्हेली स्कूल के पीछे परासिया, जिला छिन्दवाड़ा म.प्र.।	SC/NIL/OPEN	47.82	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, सोनतलाई, नर्मदापुरम्



क्र.	वर्ग/संवर्ग प्रतीक्षा सूची क्रमांक	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम /पिता/पति का नाम/निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक	पदस्थापना स्थान का नाम
01	02	03	04	05	06	07
13	1	23563430	सत्यम प्रदीप कुमार चतुर्वेदी, पिता:- श्री प्रदीप कुमार चतुर्वेदी, वर्तमान पता:- ग्राम पोस्ट भैसवार, तहसील- थाना कोठी, जिला सतना म.प्र.।	EWS/NIL/OPEN	46.73	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, मिरगौती, सतना
14	1	23562445	सत्यनारायण कुमरे, पिता:- स्व. श्री जीवन सिंह कुमरे, वर्तमान पता:- वार्ड नं. 19, खेड़ापति माता मंदिर के पास ईशान परिसर फेस 03, नर्मदापुरम् म.प्र.।	ST/NIL/OPEN	43.47	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, रूपादेह, नर्मदापुरम्
15	2	23563307	सुधा बस्तवार, पिता:- श्री राजेश बस्तवार, वर्तमान पता:- बेलापुरकर वार्ड रिपटापार कंदेली नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर म.प्र.।	SC/NIL/FEMALE	41.30	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, भटगांव, नर्मदापुरम्

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने पर 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप से फर्जी अथवा असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रुपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।



08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के लिये नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर, (पूर्व नाम-विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र), नेपियर टाउन, जबलपुर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म. प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
10. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
12. नियुक्त कर्मचारी का वरिष्ठताक्रम नियमानुसार रहेगा।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।


(सोनाली पोंक्षे वायंगणकर)
वि.क.अ. सह आयुक्त
संचालनालय, आयुष

पृ.क्र./2024/02/स्था./ 669-728

भोपाल, दिनांक: 29/02/2024

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आयुष म.प्र. शासन।
02. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय भोपाल।
03. कलेक्टर जिला.....।
04. संभागीय आयुष अधिकारी.....।
05. जिला कोषालय अधिकारी.....।
06. जिला आयुष अधिकारी.....।
07. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त आयुष संचालनालय।
08. संबंधित श्री।
09. आई.टी. शाखा स्थानीय संचालनालय म.प्र.।
10. आदेश नस्ती।


वि.क.अ. सह आयुक्त
संचालनालय, आयुष

संचालनालय आयुष, म.प्र.

(भूतल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

Email: dirsthapna2ayush.mp@mp.gov.in		Office (0755)2552830
www.ayush.mp.gov.in		Fax (0755)2760225,2551527

क्रमांक / 2024 / 02 / स्था. /

भोपाल, दिनांक: / 02 / 2024

आदेश

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न अभ्यर्थियों को यूनानी कम्पाउंडर, पद कोड-15 (तृतीय श्रेणी) के पद पर (सातवे वेतनमान-25300-80500 लेवल-6) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 07 में अंकित स्थान पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	वर्ग/संवर्ग प्रतीक्षा सूची क्रमांक	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम /पिता/पति का नाम/निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक	पदस्थापना स्थान का नाम
01	02	03	04	05	06	07
1	1	23567055	यासिर बैग, पिता:- मन्दसूर बैग, वर्तमान पता:- वार्ड नं.03 मढईपुरा, रायसेन, जिला रायसेन म.प्र.।	EWS/NIL/OPEN	46.93	शासकीय यूनानी औषधालय, देहगांव, रायसेन

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

- यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
- उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
- कार्यभार ग्रहण करने पर 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप से फर्जी अथवा असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
- नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।



06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के लिये नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर, (पूर्व नाम-विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र), नेपियर टाउन, जबलपुर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म. प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
10. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
12. नियुक्त कर्मचारी का वरिष्ठताक्रम नियमानुसार रहेगा।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।



//3//

18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(सोनाली पौक्षे वायंगणकर)

वि.क.अ. सह आयुक्त

संचालनालय, आयुष

भोपाल, दिनांक: 29/02/2024

पृ.क./2024/02/स्था./649-58

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आयुष म.प्र. शासन।
02. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय भोपाल।
03. कलेक्टर जिला.....।
04. संभागीय आयुष अधिकारी.....।
05. जिला कोषालय अधिकारी.....।
06. जिला आयुष अधिकारी.....।
07. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त आयुष संचालनालय।
08. संबंधित श्री।
09. आई.टी. शाखा स्थानीय संचालनालय म.प्र.।
10. आदेश नस्ती।

वि.क.अ. सह आयुक्त
संचालनालय, आयुष

संचालनालय आयुष, म.प्र.
(भूतल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

Email: dirsthapna2ayush.mp@mp.gov.in www.ayush.mp.gov.in	 Azadi Ka Amrit Mahotsav	Office (0755)2552830 Fax (0755)2760225,2551527
--	---	---

क्रमांक / 2024 / 02 / स्था. /

भोपाल, दिनांक: / 02 / 2024

आदेश

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न अभ्यर्थियों को स्टाफ नर्स, पद कोड-16 (तृतीय श्रेणी) के पद पर (सातवे वेतनमान-28700-91300 लेवल-7) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 07 में अंकित स्थान पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	वर्ग/संवर्ग प्रतीक्षा सूची क्रमांक	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम /पिता/पति का नाम/निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक	पदस्थापना स्थान का नाम
01	02	03	04	05	06	07
1	31	23569431	सच्चिदानन्द तिवारी, पिता:-श्री रमेश तिवारी, वर्तमान पता:- तिवारी मोहल्ला, ग्राम गोरमी, जिला भिण्ड म.प्र.।	UR/NIL/OPEN	58.03	शासकीय जिला आयुष चिकित्सालय, मुरैना, मुरैना
2	37	23590400	अनिल कुमार, पिता:- श्री राधेश्याम, वर्तमान पता:- फजीतपुरा, रामपुर बसेड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान।	UR/NIL/OPEN	58.03	शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, शिवपुरी, शिवपुरी
3	9	23578800	श्रीमती पार्वती नायकर, पति श्री सतीश नायकर, वर्तमान पता:-685, कांच घर हनुमान टोरिया पानी की टंकी के पास, संजय गांधी वार्ड जबलपुर म.प्र.।	UR/NIL/FEMALE	57.35	शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, मण्डला, मण्डला
4	12	23594274	मृदुल मौर्य, पिता:- श्री राजेश मौर्य, वर्तमान पता:- 783 शीलनाथ केम्प इन्दौर म.प्र.।	OBC/NIL/OPEN	57.72	शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, शिवाजी नगर, भोपाल
5	7	23580044	अंजू सिगोटिया, स्व. पति जितेन्द्र सिगोटिया, वर्तमान पता:- वार्ड नं. 21 शिवमंदिर के पास जनता कॉलोनी छिन्दवाड़ा म.प्र.।	SC/NIL/FEMALE	55.92	शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, तामिया, छिन्दवाड़ा



क्र.	वर्ग/संवर्ग प्रतीक्षा सूची क्रमांक	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम /पिता/पति का नाम/निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक	पदस्थापना स्थान का नाम
01	02	03	04	05	06	07
6	5	23591805	शिल्पा तिवारी, पिता:- श्रीनिवास तिवारी, वर्तमान पता:- वार्ड नं. 15 रतहरा, रीवा, जिला रीवा म.प्र.।	EWS/NIL/FEMALE	54.67	शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, सतना, सतना
7	8	23554338	सुमित्रा चौहान, पिता:- श्री दुरसिंह चौहान, वर्तमान पता:- घमोलिया फलिया, ग्राम-मोतीबदोई, तहसील-कट्टीवाड़ा, जिला अलीराजपुर म.प्र.	ST/NIL/OPEN	52.74	शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, झाबुआ, झाबुआ
8	9	23572997	ऐश्वर्या जेम्स, पिता:- श्री अविनाश जेम्स, वर्तमान पता:- 52, पदमावती कॉलोनी इन्दौर म.प्र.।	ST/NIL/OPEN	52.74	शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, शिवाजी नगर, भोपाल

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

- यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
- उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
- कार्यभार ग्रहण करने पर 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप से फर्जी अथवा असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
- नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- आवेदन पत्र शुल्क रुपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।



08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के लिये नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर, (पूर्व नाम-विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र), नेपियर टाउन, जबलपुर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म. प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
10. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
12. नियुक्त कर्मचारी का वरिष्ठताक्रम नियमानुसार रहेगा।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(सोनाली पौष्के वायंगणकर)
वि.क.अ. सह आयुक्त
संचालनालय, आयुष

पृ. क्र./2024/02/स्था./729-70

भोपाल, दिनांक: 29/02/2024

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आयुष म.प्र. शासन।
02. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय भोपाल।
03. कलेक्टर जिला.....।
04. संभागीय आयुष अधिकारी.....।
05. जिला कोषालय अधिकारी.....।
06. जिला आयुष अधिकारी.....।
07. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त आयुष संचालनालय।
08. संबंधित श्री।
09. आई.टी. शाखा स्थानीय संचालनालय म.प्र.।
10. आदेश नस्ती।

वि.क.अ. सह आयुक्त
संचालनालय, आयुष